N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0100 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/04/2025 17:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/04/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/04/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/04/2025 17:52:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** PATWAR BHAWAN BIJALI GHAR CHAORAHA KE PASS, BHARTPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** LAKHAN SINGH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMHET
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAGALA LODHA ROAD, SANJAY NAGAR, MATHURAGATE, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAGALA LODHA ROAD, SANJAY NAGAR, MATHURAGATE, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TULARAM		पिता:TURSIRAM URF TULSIRAM	1. SAHANA,UCHHAIN,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बावत महोदय उपरोक्त निवेदन है कि मै लाखन सिह पुत्र श्री रामहेत सिह जाति जाट उम्र 52 साल निवासी नगला लोधा रोड़ सजय नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर का हू मैने दिनांक 20.03.2025 को तहसीलदार साहब भरतपुर को मेरे पुख्ता मकान संजय नगर भरतपुर की एवज में पॉच लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट कराने के लिए मार्क कर मुझे सुपुर्द कर दिया था जिस पर मैं हल्का पटवारी श्री तुलाराम से मिला तो उन्होने कागज अपने पास रख लिये और बाद में आने की कहा इस पर कुछ दिन बाद मैं पुनः हल्का पटवारी तुलाराम जी से मिला तो उन्होने मुझसे मेरे प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने की एवज में पॉच हजार रूपये की रिश्वत मांग की है व मुझे रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा हैं एवं मेरा जायज काम को नही कर रहा है। मैं श्री तुलाराम हल्का पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हू उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू मेरी तुलाराम से कोई पुरानी लेन-देन एवं रंजिश नही है। तुलाराम पटवारी स्थानीय निवासी होने के कारण मैं यह कार्यवाही ए.सी.बी. चौकी भरतपुर से नहीं कराकर ए.सी.बी. चौकी धौलपुर से कराना चाहता हूॅ। प्रार्थी एसडी लाखन सिह पुत्र श्री रामहेत सिह जाति जाट उम्र 52 साल निवासी नगला लोधा रोड़ सजय नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर मो. [redacted] दिनांक 21.04.2025 एसडी सुरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 21.04.25 एसडी श्यामवीर, कर सहायक, दिनांक 22.04.2025 एसडी नारायण सिह यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनांक 22.04.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21.04.2025 समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री लाखन सिह पुत्र श्री रामहेत सिह जाति जाट उम्र 52 साल निवासी नगला लोधा रोड़ सजय नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर ने उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के पदनाम संबोधित करते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिह को इस आशय की पेश की मै लाखन सिह पुत्र श्री रामहेत सिह जाति जाट उम्र 52 साल निवासी नगला लोधा रोड़ सजय नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर का निवासी हू मैने दिनांक 20.03.2025 को तहसीलदार साहब भरतपुर को मेरे पुख्ता मकान संजय नगर भरतपुर की एवज में पॉच लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार साहब ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट कराने के लिए मार्क कर मुझे सुपुर्द कर दिया था जिस पर मैं हल्का पटवारी श्री तुलाराम से मिला तो उन्होने कागज अपने पास रख लिये और बाद में आने की कहा इस पर कुछ दिन बाद मैं पुनः हल्का पटवारी तुलाराम जी से मिला तो उन्होने मुझसे मेरे प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने की एवज में पॉच हजार रूपये की रिश्वत मांग की है व मुझे रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा हैं एवं मेरा जायज काम को नही कर रहा है। मैं श्री तुलाराम हल्का पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हू उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू मेरी तुलाराम से कोई पुरानी लेन-देन एवं रंजिश नही है। परिवादी ने पूछताछ पर उक्त रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिखित होना बताया एवं की मेरा हैसियत प्रमाण-पत्र हेतु पेश किया गया प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज हल्का पटवारी तुलाराम के पास ही पेंडिग है मेरे द्वारा बार-बार निवेदन करने के पश्चात् भी पटवारी जी ने मेरे प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट कर मुझे नही दिया है एवं मुझसे हैसियत प्रमाण-पत्र की रिपोर्ट करने की एवज में पॉच हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। लिखित रिपोर्ट एवं पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय 02.30 पी.एम पर गवाह श्री सरमन सिह कानि. चालक 581 व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 के समक्ष रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पूर्व से स्वंय के पास रखे हुये विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर मय खाली मैमोरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी के सहित विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू एवं बन्द करने की विधि परिवादी श्री लाखन सिह को समझाकर कर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को सुपुर्द कर हिदायत दी कि उक्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द कर बाद रिश्वत मांग सत्यापन विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस उप अधीक्षक को लाकर पेश करे। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुचारू रूप से सही कार्य कर रहा

है डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग वार्ता नही है। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 04.00 पी.एम पर गवाह श्री सरमन कानि. चालक 581 व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 के समक्ष परिवादी श्री लाखन सिह की मौजूदगी में श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 ने जरिये फर्द सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने पास से निकालकर मुझे पेश किया जिसमें रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू किया जाकर सरसरी तौर सुना गया तो उसमें रिश्वत मांग की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 आपके पास से रवाना होकर पटवार भवन बिजली घर चौराहा के पास भरतपुर के पास पहुँचे जहां पर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 ने विभागीय वॉइस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया था मैने चालू विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में सुरक्षित रखकर पटवार भवन बिजली घर चौराहा के पास भरतपुर हल्का पटवारी तुलाराम के कमरे में जाकर आरोपी श्री तुलाराम हल्का पटवारी से मेरे हैसियत प्रमाण-पत्र के प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने व प्रार्थना-पत्र को देने के संबंध में वार्ता की गई तो श्री तुलाराम हल्का पटवारी ने मुझसे पॉच हजार रूपये की रिश्वत मांग की मेरे द्वारा निवेदन करने पर श्री तुलाराम हल्का पटवारी चार हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गया। इसके बाद मैने विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया इसके बाद वहां से रवाना होकर हम आपके पास सर्किट हाउस भरतपुर आ गये। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 द्वारा की गई। इसके बाद डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित सर्किट हाउस भरतपुर में मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ठहरने हेतु आरक्षित करवाये कमरा नं. 110 की आलमारी में ताला बन्द कर रखा गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री लाखन सिह ने बताया कि मुझे आवशयक कार्य होने के कारण मुझे घर पर जाना आवशयक है एवं आज मेरे पास रिश्वत राशि भी नही है अतः आज कार्यवाही करवाया जाना असंभव है मैं कल सर्किट हाउस भरतपुर में कार्यवाही कराये जाने हेतु उपस्थित हो जाऊगा इस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। समय 05.15 पी. एम पर कल प्रातः आरोपी श्री तुलाराम पटवारी रिश्वत राशि ले सकता है। अतः कल कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा चूँकि मन् पुलिस उप अधीक्षक पूर्व से ही भरतपुर आया हुआ हूँ। श्रीकान्त हैड कानि. 72 को जरिये टेलीफोन पाबन्द किया गया कि श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 श्री योगेश सिह कानि. 88 श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स विडियो कैमरा लैपटॉप प्रिन्टर की-बोर्ड माउस इत्यादि के प्रातः सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित होवे। इसके बाद समय 10.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्रीकान्त हैड कानि. 72 व श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 श्री योगेश सिह कानि. 88 श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स विडियो कैमरा लैपटॉप प्रिन्टर की-बोर्ड माउस इत्यादि के सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आये जिन्हे बाद हिदायत कमरे में बिठाया गया। इसके बाद समय 10.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत वाणिज्यिक कर अधिकारी जिला भरतपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी जिला भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 11.30 ए.एम पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी भरतपुर पहुँचा जहां स्वतंत्र गवाहान को मुताबिक निर्देषानुसार हमराह साथ लेकर सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आया स्वतंत्र गवाहान को सर्किट हाउस भरतपुर के कमरे में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री लाखन सिह सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित हुआ जिसे हिदायत कर सर्किट हाउस भरतपुर के कमरा नं. 110 में बिठाया गया। इसके बाद समय 01.10 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्किट हाउस में उपस्थित हैं जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो क्रमशः अपने नाम श्री श्यामवीर पुत्र श्री भॅवर सिह उम्र 40 साल जाति जाटव निवासी विजय नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबन्द जिला भरतपुर हाल कर सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर। मो.नं.-[redacted] व श्री नारायण सिह यादव पुत्र श्री जवर सिह उम्र 47 साल जाति अहीर निवासी हाऊसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर। मो.नं.-[redacted]जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी लिखित सहमति दी तत्पश्चात् दोनों का गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री लाखन सिह से आपस में एक-दूसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री लाखन सिह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर दिनांक संहित अंकित करवाये गये। इसके बाद 01.30 पी.एम पर विभागीय वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर से टेबिल स्पीकर को कनेक्ट किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री लाखन सिह व गवाहान श्री श्यामवीर, कर सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर व श्री नारायण सिह यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर की उपस्थिति में टेबिल

स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्व हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय हेतु एवं दो डीवीडीयां क्रमष- मुलजिम प्रति एवं आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी को अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये फर्द जप्त किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मार्क M व सील्ड शुदा डी.वी. डी. पर मार्क A अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी. डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं रिष्वत मांग सत्यापन तैयार फर्द ट्रासक्रिप्ट से श्री तुलाराम पटवारी पटवार हल्का भरतपुर द्वारा परिवादी के पुखता मकान का हैसियत प्रमाण पत्र के प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने की एवज में 5000/- रूपये मांग करना एव परिवादी के निवेदन करने पर 4000/- रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.20 पी.एम पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को 4000/-रूपये रिश्वत मांग सत्यापन से स्पष्ट है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री लाखन सिह से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/-रूपये के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा का इन्तजाम है जो अभी मेरे पास उपलब्ध है। परिवादी को हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 03.25 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री लाखन सिह पुत्र श्री रामहेत सिह जाति जाट उम्र 52 साल निवासी नगला लोधा रोड़ सजय नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 08 (आठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल रकम मूल्य 4000/- (चार हजार) रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-नोट का विवरण नोटों के नम्बर एक नोट पॉच सौ रूपये का 6QQ174258 एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 AC 057506 एक नोट पॉच सौ रूपये का 6UV 625497 एक नोट पॉच सौ रूपये का 1WR 147 547 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7RV 131266 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7BR 471007 एक नोट पॉच सौ रूपये का 9MW 83 4494 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7BS 86 4023 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात् इन्द्रजीत हैड कानि. 71 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी ट्रेप बाक्स से निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री लाखन सिह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर सिह कर सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 4000/-(चार हजार) रूपये के नोटों को श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 से परिवादी हुई पेन्ट की बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावष्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री नारायण सिह यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सर्किट हाउस के कमरे में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदशी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कमरे के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 के माध्यम से सर्किट हाउस के कमरे में रखी अलमारी में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन व परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालात में कार्य

कर रहा था व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी में पूर्व से कोई रिकॉडिंग वार्ता नही थी। श्री इन्द्रजीत सिह् हैड कानि. 71 को बाद हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में ही छोडा गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर रसायनिक प्रतिक्रिया पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर परिवादी श्री लाखन सिह् व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 व स्वतंत्र गवाह श्री नारायण सिह् यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ब्रह्मदेव कानि. 449 की निजी मोटर साईकिल व श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री योगेश सिह् कानि. 88 व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को प्राईवेट वाहन से कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक मय प्राईवेट वाहन मय श्री सरमन सिह् कानि. चालक 581 मय सरकारी लेपटॉप प्रिंटर विभागीय विडियों कैमरा एवं ट्रेप बॉक्स इत्यादि के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा के पास भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय पटवार भवन भरतपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री योगेश सिह् कानि. 88 श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार किया। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर समय परिवादी श्री लाखन सिह् पटवार भवन बिजली घर चौराहा के पास से रिश्वत राशि लेन-देन हेतु नियत ईशारा किये बिना मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और बताया कि आरोपी अपने कमरे में कार्य कर रहा था और आरोपी के पास भीड होने के कारण उसने मेरे से रिश्वत राशि नही लेने का ईशारा किया था। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके पास गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन संबंधी कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नही पाई गई। परिवादी द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा आज रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की संभावना नही है इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय प्राईवेट वाहनो मय चालक के लेपटॉप प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी विडियों कैमरा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर के पास से रवाना सर्किट हाउस भरतपुर हुआ। तत्पश्चात् समय 04.30 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी विडियों कैमरा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर के पास से रवाना होकर सर्किट हाउस भरतपुर पहुँचकर परिवादी की जेब से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 4000/- रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक द्वारा निकलवाई जाकर सुरक्षित अपने पास ली जाकर ठहरने हेतु आरक्षित किये हुये कमरा नं. 110 की अलमारी में रखवाई जाकर लॉक बन्द किया गया। ट्रेप बॉक्स व अन्य उपकरणो को भी सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर किया व कल दिनांक 23.04.2025 को सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप टीम को भी कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया व कल दिनांक 23.04.2025 को सर्किट हाऊस भरतपुर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 23.04.2025 समय 12.30 पी.एम पर समय पूर्व से पाबन्द शुदा ट्रेप टीम श्रीकान्त हैड कानि. 72 श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 श्री योगेश सिह् कानि. 88 श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 श्री मनोज कुमार कानि. 179 श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आये जिन्हे बाद हिदायत सर्किट हाउस भरतपुर में बिठाया गया। इसके बाद समय 02.15 पी.एम पर समय पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री श्यामवीर कर सहायक व श्री नारायण सिह् यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित हुये जिन्हे हिदायत कर सर्किट हाउस में बिठाया गया। इसके बाद समय 02.55 पी.एम पर समय पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री लाखन सिह् सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आया एवं बताया कि आरोपी श्री तुलाराम पटवारी मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है इस पर परिवादी को हिदायत कर सर्किट हाउस में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय 03.00 पी.एम पर परिवादी की जामा तलाषी लिवाई तो उसके पास मोबाईल फोन परिचय-पत्र के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी व स्तवंत्र गवाहान के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक से रिश्वत राशि फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 4,000/-रूपये को सर्किट हाउस के कमरा 110 की अलमारी लॉक बन्द को खुलवाया जाकर सुरक्षित रखी को बाहर निकलवा जाकर उक्त रिश्वती राशि फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 4,000/-रूपये पॉच-पॉच सौ के आठ नोट को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से मिलना कराया गया तो उक्त वही नोट होना पाये गये जो पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित है उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक के द्वारा परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की साईड की जेब में रखवाया जाकर परिवादी

को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा अभिवादन के समय भी आरोपी से हाथ नही मिलाये हाथ जोडकर अभिवादन करे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट आरोपी निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल से फोन कर रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे व परिवादी स्वतंत्र गवाहान व पूरी ट्रेप टीम एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने-अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोये गये ट्रेप टीम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो परिचय पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नही होना पाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिष्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालात में कार्य कर रहा था व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 32 जी.बी राजधानी कम्पनी में पूर्व से कोई रिकॉडिंग वार्ता नही थी। इसके बाद समय 03.20 पी.एम पर परिवादी श्री लाखन सिह् व श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को ब्रह्मदेव कानि. 449 की निजी मोटर साईकिल व स्वतंत्र गवाह श्री नारायण सिह यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मनोज कुमार कानि. 179 व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को श्री मनोज कुमार कानि. 179 की निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री योगेश सिह कानि. 179 मय सरकारी वाहन वाहन मय श्री शंकर लाल मीणा कानि. चालक 500 मय सरकारी लेपटॉप प्रिंटर विभागीय विडियों कैमरा एवं ट्रेप बॉक्स इत्यादि के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय पटवार भवन भरतपुर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री योगेश सिह कानि. 88 श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडे हुये परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति के नियत ईशारे का इंतजार किया। तत्पश्चात् समय 03.50 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री लाखन सिह से नियत इशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय पटवार भवन बिजली घर चौराहा भरतपुर पहुंचा जहां परिवादी लाखन सिह् उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री लाखन सिह ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही तुलाराम पटवारी जी है जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि 4000/-रूपये अपने हाथों में लेकर पटवार भवन के बरामदे में रखे हुये पुराने रिकॉर्ड के पास रख दिये है। इस पर पास खडे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम तुलाराम पुत्र श्री तुरसीराम उर्फ तुलसीराम उम्र 52 साल निवासी सहना पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर होना बताया जिसे डिटेन किया जाकर यथास्थिति में रहने की हिदायत कर परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 4000/-रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो उक्त तुलाराम पटवारी अपने दोनो हाथों को आपस में रगडने लगा इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार तुलाराम पटवारी का बायां हाथ स्वतंत्र गवाह श्री नारायण सिह यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं दाहिना हाथ श्री मनोज कुमार कानि. 179 कलाईयों के ऊपर से पकड लिये। परिवादी श्री लाखन सिह से रिश्वत राशि 4000/-रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री तुलाराम पटवारी ने बताया कि मैं पिछले करीब तीन साल से पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर में पटवारी के पद पर तैनात हूँ। दिनाक 21.04.2025 को श्री लाखन सिह् मेरे पास आया था जिसने मुझे बताया था कि मेरे पुख्ता मकान का हैसियत प्रमाण-पत्र के प्रार्थना-पत्र जो कि 21.03.2025 को मुझे दिया था जिस पर रिपोर्ट करने के संबंध में मेरे से बातचीत हुई थी उक्त बातचीत में मेरे द्वारा कोई रिश्वत मांगी गई हो तो मुझे अभी याद नहीं है कुछ रूपये लेन-देन की बात हुई थी मैने उक्त प्रार्थना-पत्र को अपने पास रख लिया था। लाखन सिह ने मुझसे कल आकर मिलने के लिए कहा था जिस पर वह कल दिनांक 22.04.2025 को भी मेरे पास आया था लेकिन मेरे पास अन्य लोग होने के कारण मैने रिश्वत राशि नही लेकर उसे कल आने का ईशारा कर भेज दिया था। इसके बाद आज दिनांक 23.04.2025 को लाखन सिह मेरे पास आया था जिस पर मैने उससे काम करने के बदले में रिश्वत राशि 4000/-रूपये हाथो में लेकर पटवार भवन के बरामदे में रखे पुराने रिकॉर्ड के पास रख दिये थे। उसी समय आप लोग आ गये। परिवादी से भी इस संबंध में पूछा गया तो आरोपी द्वारा बताई गई बातों को ही बताया तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स मे से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर पटवार भवन में रखे हुये कैम्पर में से साफ पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री

तुलाराम पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर दो काचं की साफ शीशीयो में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयो पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने पानी को रंगहीन होना स्वीकार किया इस घोल में श्री तुलाराम पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर दो काचं की साफ शीशीयो में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयो पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। श्री तुलाराम पटवारी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत राशि 4000/-रूपये मैने हाथो में लेकर पटवार भवन के बरामदे में रखे पुराने रिकॉर्ड के पास रख दिये इस पर उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री श्यामवीर कर सहायक से निकलवाया गया तो नोटों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-नोट का विवरण नोटों के नम्बर एक नोट पॉच सौ रूपये का 6QQ174258एक नोट पॉच सौ रूपये का 2AC 057506 एक नोट पॉच सौ रूपये का 6UV 625497 एक नोट पॉच सौ रूपये का 1WR 147 547 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7RV 131266 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7BR 471007 एक नोट पॉच सौ रूपये का 9MW 83 4494 एक नोट पॉच सौ रूपये का 7BS 86 4023 उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी द्वारा पटवारी भवन के बरामदे में रखे पुराने रिकॉर्ड के पास रिश्वत राशि रखी गई थी रिश्वत राशि बरामदगी स्थान पुराने रिकॉर्ड पर एक गीला सफेद रूई का फोहा लिया जाकर उक्त स्थान से गीला सफेद रूई के फोहा को रंगडकर ट्रेप बॉक्स में एक नया डिस्पोजल गिलास लिया जाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर समस्त हाजरीन को दिखाया तो सभी ने उक्त पानी का रंग रंगहीन होना बताया इस पर उक्त घोल में सफेद रूई के फोहा को धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाया तो सभी ने पानी का रंग गुलाबी होना बताया इस पर दो काचं की साफ शीशीयों में भरवाकर चिट चस्पा करवाकर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर सील्ड मोहर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोहा को सुखाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखकर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क R अंकित किया जिस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में काम लिये गये समस्त डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से ट्रासंक्रिप्ट तैयार की गई। आरोपी से परिवादी के हैसियत प्रमाण-पत्र बाबत पेश प्रार्थना-पत्र के बारे में पूछा तो बताया कि मैने रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज श्री लाखन सिह को दे दिया था। इस पर परिवादी ने बताया कि आज दिनांक 23.04.2025 को मैने रिश्वत राशि आरोपी तुलाराम पटवारी को दी तो उन्होने मेरे कार्य से संबंधित प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज मुझे सुपुर्द कर दिये थे। उक्त प्रार्थना-पत्र परिवादी से प्राप्त किया गया जिनकी छायाप्रति कराई जाकर पृथक से जप्त किया । आरोपी तुलाराम पुत्र श्री तुरसीराम उर्फ तुलसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 52 साल निवासी सहना पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री लाखन सिह पुख्ता मकान का हैसियत प्रमाण-पत्र के प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने एवज मे रिश्वत राशि 5000/-रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 23.04.2025 को 4000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आरोपी तुलाराम पटवारी, को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया । कार्यवाही की विडियोंग्राफी विभागीय विडियो कैमरा द्वारा जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा कराई गई। फर्द हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.10 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री लाखन सिह के पुख्ता मकान के हैसियत प्रमाण-पत्र के प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज की मूल ही आरोपी श्री तुलाराम पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् परिवादी को सुपुर्द कर दिये गये थे जिन्हे परिवादी द्वारा मौके पर पेश किया गया जिनका अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 11 तक है प्रथम पृष्ठ प्रार्थना-पत्र पर आरोपी श्री तुलाराम पटवारी द्वारा दिनांक 21.03.2025 को रिपोर्ट करना अंकित है जो आज दिनांक 23.04.2025 तक आरोपी तुलाराम पटवारी के पास ही पेंडिग पाये गये। उक्त प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज की छायाप्रति तैयार की जाकर कब्जा एसीबी ली गई जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। मूल प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज परिवादी के पेंडिग कार्य को पूर्ण कराने हेतु परिवादी को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती रिकॉर्ड प्रार्थना-पत्र हैसियत प्रमाण-पत्र मय दस्तावेज बाबत पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई । इसके बाद समय 05.20 पी.एम पर विभागीय

डिजीटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर टेबिल स्पीकर की मदद से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रिकार्ड वार्ता जिसकी रिकॉडिंग विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में की गई जिसे विभागीय लैपटॉप कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को परिवादी श्री लाखन सिह् व गवाहान श्री श्यामवीर कर सहायक व श्री नारायण सिह् यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता एवं शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की मूल मैमोरी कार्ड राजधानी कम्पनी न्यायालय हेतु व दो डीवीयां क्रमश- एक मुलजिम प्रति एवं एक आईओ प्रति तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड व मुलजिम डी.वी.डी को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मार्क M-1 व डब डी.वी.डी पर मार्क B अंकित किया रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आईओ प्रति डी.वी.डी. को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर आरोपी का कोई सहकर्मी उपस्थित नही होने के कारण रिश्वत लेन-देन व मांग सत्यापन के समय आरोपी की रिकॉर्ड आवाज की पहचान सहकर्मी से कराया जाना संभव नही होने के कारण पहचान नही कराई जा सकी। इसके बाद समय 06.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री तुलाराम पुत्र श्री तुरसीराम उर्फ तुलसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 52 साल निवासी सहना पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर की वक्त हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि व बरामदगी स्थल कार्यवाही की विडियोग्राफी जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय विडियो कैमरा द्वारा करवाई गई थी विडियो कैमरा को कम्प्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाकर विडियोग्राफी की तीन डीवीडीयों तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर मूल डीवीडी न्यायालय प्रति व मुल्जिम डीवीडी को सफेद कपडे की थैलियो में अलग-अलग रखकर सील मोहर मार्क C अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये गये आईओ प्रति डी.वी.डी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया डीवीडी की हैश वैल्यू निकाल कर संबंधितो के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई फर्द डबिंग डीवीडी हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि व बरामदगी स्थल की धुलाई के धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी की पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 06.30 पी.एम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.55 पी.एम पर आरोपी श्री तुलाराम पटवारी पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर का सेवा विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में कार्यालय तहसील जिला भरतपुर से प्राप्त हुआ जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री तुलाराम पुत्र श्री तुरसीराम उर्फ तुलसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 52 साल निवासी सहना पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री लाखन सिह् पुख्ता मकान का हैसियत प्रमाण-पत्र के प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने एवज मे रिश्वत राशि 5000/-रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 23.04.2025 को रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 08 (आठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल मूल्य 4,000/-(चार हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने उक्त कृत्य धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाये जाने पर आरोपी को उक्त जुर्म से आगाह् कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह् श्री नारायण सिह् यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवायी गई तो पहने हुए कपडों के अलावा एक मोबाईल फोन मोटोरोला कम्पनी का जिसका लॉक पासवर्ड 6872 है जिसमें एक जियो कम्पनी सिम जिसका मोबाईल नम्बर [redacted] है व दूसरी सिम बी.एस.एन.एल कम्पनी की सी.यू.जी नम्बर है जिसका मोबाईल [redacted] व आई.एम.ई.आई. नम्बर [redacted] दूसरा नम्बर [redacted] है चालू हालात में मिला जिसे फ्लाईट मोड पर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में 6150/-रूपये मिले जिनके बारे में आरोपी से पूछा तो घर खर्च के लिए घर से लाना बताया आरोपी का जवाब संतोषप्रद पाये जाने पर उक्त राशि को जामा तलाशी माल मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनकी पत्नी श्रीमति कमलेश को मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई। तत्पश्चात् समय 07.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री लाखन सिह् पुत्र श्री रामहेत सिह् जाति जाट उम्र 52 साल निवासी नगला लोधा रोड़ सजय नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (44) लिखा हुआ था उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह् श्री नारायण सिह् यादव कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर को सुपुर्द की गई एवं आवश्यकता होने पर

न्यायालय में पेश करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द करने नष्ट नमूना सील पीतल पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। इसके बाद समय 08.30 पी.एम पर श्रीकान्त हैड कानि. 72 मय जाप्ता मय सरकारी वाहन मय चालक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री तुलाराम पटवारी के वास्ते कराने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आर.बी.एम हॉस्पीटल व बाद स्वास्थ्य परीक्षण बन्द हवालात कराये जाने हेतु पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर तहरीर दी जाकर रवाना किया गया मुनासिब हिदायत की गई। इसके बाद समय 08.35 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहन व परिवादी को मौके से बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि 4000/-रूपये जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन व 6150/-रूपये मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के बाद कार्यवाही मौके से सर्किट हाउस भरतपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 08.50 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम मय सील्ड शुदा आर्टिकल्स ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा रिश्वती राशि 4000/-रूपये जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन व 6150/-रूपये मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर विभागीय विडियो कैमरा मय फर्दात एवं पत्रावली आदि के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सर्किट हाउस भरतपुर पहुँचा सील्ड शुदा आर्टिकल्स रिश्वती राशि 4000/-रूपये जामा तलाशी मे मिले मोबाईल फोन व 6150/-रूपये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ट्रेप बॉक्स विभागीय विडियों कैमरा आदि को आरक्षित कमरा नम्बर 110 की अलमारी में रात्रि का वक्त हो जाने के कारण सुरक्षित रखा गया मुकीम सर्किट हाउस भरतपुर रहा तत्पश्चात् समय 09.30 पी.एम पर श्री कान्त हैड कानि. 72 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय सरकारी वाहन मय चालक फिकरावाला का रवाना शुदा वापस सर्किट हाउस भरतपुर आया दर्ज कराया कि पटवार भवन बिजली घर चौराहा के पास भरतपुर से रवाना होकर आर.बी.एम अस्पताल भरतपुर पहुँचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी तुलाराम, पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई आर.बी.एम अस्पताल से रवाना होकर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर पहुँचा जहां तहरीर दी जाकर आरोपी तुलाराम, पटवारी को बन्द हवालात कराया जाकर रिपोर्ट पहरा सन्तरी किया पुलिस थाना मथुरा गेट से रवाना होकर सर्किट हाउस भरतपुर आया आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण रिपेर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। अब तक सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री तुलाराम पुत्र श्री तुरसीराम उर्फ तुलसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 52 साल निवासी सहना पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री लाखन सिह पुख्ता मकान का हैसियत प्रमाण-पत्र के प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट करने एवज मे रिश्वत राशि 5000/-रूपये की मांग करना जिसका गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना व उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 23.04.2025 को राशि रिश्वती भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 08 (आठ) नोट कुल कीमत 4000/-(चार हजार) रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री तुलाराम पटवारी के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है। (सुरेन्द्र सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह ,पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री तुलाराम पुत्र श्री तुरसीराम उर्फ तुलसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 52 साल निवासी सहना पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का चक नम्बर 3 भरतपुर जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 362 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 572-75 दिनांक 24.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. जिला कलक्टर, भरतपुर। 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** AMIT SINGH **Rank** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/04/2025 18:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/08/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)